

पैरेष्ट

श्री सम० दास  
विशेष निदेशक।

सैवा मे.

सचिव,

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन,  
शिक्षा केन्द्र, कम्पूनिटी सेन्टर, पीत विहार,  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक 28-2-04

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापृति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापृति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित विद्यालयों को री0बी0स००इ०, नई दिल्ली से सचिवद्वारा सम्बद्धता/मन्त्रिता इस शात्ति के साथ निर्गत का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष पैतोरादि का भूत्तान विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा :-

- 11। श्रावणी पब्लिक स्कूल, कटारी हिल रोड, गया।
- 12। रु०३०८०० चिल्ड्रेन्स स्कैडमी, कटिहार
- 13। श्रान भारती पब्लिक स्कूल, पहाड़िगंज, कैन्ट सरिया, गया।
- 14। तौहीद स्कैडमी, तौहीदनगर, पश्चिम पाली, किशनगंज।
- 15। न्यू शरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजधानी, पीपलपाटी रोड, मुगेर।
- 16। डी०८०भी० पब्लिक स्कूल, डिहरी, रोहतास।
- 17। डी०८०भी० पब्लिक स्कूल, शोरधाटी, गया।
- 18। रु०३०५००डी०८०भी० पब्लिक स्कूल, पूर्णियाँ।
- 19। रीताराम डी०८०भी० पब्लिक स्कूल, सीतामढ़ी।
- 20। कमला नैहस शिक्षा विहार उच्च विद्यालय, सदाकत आम्रम, पटना।

*Brijesh*  
MANAGER  
DAV Public School  
Sherghati, Gaya-824211

स्कूल अॅफ किटिव लनीग, नरगढ़ा, दानापुर, पटना

- 2- इसकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।
- 3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

१८० दास।  
विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

शापकि

108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित छात्रीय शिक्षा उप निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनाथ सर्व आवश्यक कार्याधीन प्रेषित।

2. शौक्षिक गुणावत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम-से-एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।
3. निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्णीत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

१॥ विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों को राज्य सरकार के विद्यालय के कर्मियों के समकक्ष पैतन सर्व भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक विलम्ब किया जा रहा है,

२॥ अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए समर्पित कागजात सर्व अभिनेत्र जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति ते भिन्न होने पर,

३॥ विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस में लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मंद में व्यय किया जा रहा है।

४॥ विद्यालय ऐसी गतिविधि में तीलगन हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही है, जिससे समाज के विभिन्न सांसाधनों के दीय कटुता पैदा हो,

५॥ सी०बी०स००३००० मापदंड के अनुसम भवनों में सी०बी०स००३००० मापदंड के अनुसम छात्रों की संख्यां निर्धारित नहीं किए जाने पर।

१८० दास।

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

शापकि

108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि सचिव/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, विहार को सूचनाथ प्रेषित।

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।

*S. Raden*  
Principal  
DAV Public School  
Sherghati, Gaya-824211  
Affiliation No.-330112

शापकि

108 पटना, दिनांक 28-2-04

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को

MANAGER  
DAV Public School  
Sherghati, Gaya-824211

विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा।